

सूचना का अधिकार

4(1)(ख)(xv)- सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यक्रम घंटे सम्मिलित हैं:

क्र०सं०	सूचनाएं जहां उपलब्ध हैं	उपलब्ध सूचनाओं की प्रकृति	सूचनाएं प्राप्त करने का समय
1.	वेबसाइट	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नागरिक चार्टर</li> <li>2. दूरभाष निर्देशिका</li> <li>3. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का परिचय, उपलब्धियां, बजट आदि</li> <li>4. समय-समय पर जारी किए जाने वाले प्रशिक्षण संबंधी अद्यतन आदेश/कार्यालय ज्ञापन</li> <li>5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिपत्र/प्रशिक्षण कैलेंडर</li> <li>6. प्रोत्साहन योजनाओं से संबंधित सूचना एवं संबंधित आदेश/कार्यालय ज्ञापन</li> <li>7. स्थानान्तरण नीति</li> <li>8. आरक्षण रोस्टर</li> <li>9. वरीयता सूची</li> <li>10. भर्ती नियम</li> <li>11. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के कर्मिकों द्वारा किए जाने वाले सरकार दौरों का विवरण</li> <li>12. हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत तथा हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा संबंधी सूचनाएं</li> <li>13. पाठ्यपुस्तकें</li> <li>14. सूचना का अधिकार</li> </ol>	24x7
2.	पुस्तकालय	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजभाषा प्रशिक्षण एक परिचय</li> <li>2. हिंदी शिक्षण योजना संबंधी आदेशों का संकलन</li> <li>3. समाचार पत्र (हिंदी तथा अंग्रेजी)</li> </ol>	प्रत्येक कार्यदिवस प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक
3.	सूचना पट्ट	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. निविदा सूचना</li> <li>2. परिपत्र</li> </ol>	प्रत्येक कार्यदिवस प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक